

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक: 3417 /FP/UK/ROAD/11141/2015 दिनांक: देहरादून: 18 जून, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर मध्य-क्षेत्र)  
25, सुभाष रोड, देहरादून।

विषय- जनपद-पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किमी 0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोली मोटर मार्ग 7.600 किमी 0 के निर्माण हेतु 5.659 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/11141/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यूसीपी/06/87/2016/एफ0सी0/1961 दिनांक 17-12-2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रांक 426 दिनांक 26-04-2019 (प्रति संलग्न) द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगने अवनत वन भूमि 11.318 हे० ग्राम-मंजोखी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू० 31,53,930.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जिलाधिकारी, जनपद-पौड़ी के पत्रांक 1190/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018 दिनांक 21-03-2018 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-मंजोखी सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया गया है। ग्राम-मंजोखी सिविल सोयम भूमि के म्यूटेशन किये गये अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू० 47,81,555.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार जमा की गयी कुल धनराशि रू० 79,35,785.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)
6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रांक 426 दिनांक 26-04-2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-5)
7. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रांक 426 दिनांक 26-04-2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन प्रमाण-पत्र एवं ईको क्लास में संशोधन कर ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(ए०के० गुप्ता)

वन संरक्षक

२

संख्या:- /FP/UK/ROAD/11141/2015 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।
2. अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड, कोटद्वार (गढ़वाल)।

(ए०के० गुप्ता)

वन संरक्षक